



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112020-223350
CG-DL-E-26112020-223350

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3741]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 26, 2020/आग्रहायण 5, 1942

No. 3741]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 26, 2020/AGRAHAYANA 5, 1942

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2020

का.आ. 4245(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणाएं, जिनमें ऐसे अभ्यर्थियों के नाम अंतर्विष्ट हैं, जो राज्य सभा के ग्यारह सदस्यों के स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित हुए हैं, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं :--

घोषणा

(1)

उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन।

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि—

1. श्री अरुण सिंह,
ए-57 परवाना अपार्टमेंट, मयूर विहार, फेज-1 दिल्ली, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं,
2. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा,
जवाहरनगर, अछल्दा रोड, बिधुना, औरैया, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़ी की गई हैं,
3. श्री नीरज शेखर,
ग्राम व पोस्ट इब्राहिमपट्टी, जनपद बलिया, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं,

4. श्री बृजलाल,
ए-684 सेक्टर-4, 5-बसन्त खंड, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं,
5. प्रो० राम गोपाल यादव,
ग्राम व पोस्ट-सैफई, जिला इटावा, जो समाजवादी पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं,
6. श्री रामजी,
256-राजगढ़, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, जो बहुजन समाज पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं,
7. श्री बी.एल.वर्मा,
392-डी, श्री नारायनगंज, अंश लिंक रोड, उझानी, बदायूं, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं,
8. श्रीमती सीमा,
ग्राम अचकारी, पोस्ट कुशमौल, तहसील मछलीशहर, जिला जौनपुर, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़ी की गई हैं,
9. श्री हरद्वार दुबे,
10, अजन्ता कालोनी, धौलपुर हाउस, आगरा, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं,
10. श्री हरदीप सिंह पुरी,
6, अकबर रोड, नई दिल्ली, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं।

उस सदन में 10 (दस) सदस्यों के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 25 नवम्बर, 2020 को निवृत्त हो रहे हैं, स्थानों को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : विधान भवन, लखनऊ।

तारीख : 2 नवम्बर, 2020

ह./-

रिटर्निंग आफिसर"।

(2)

उत्तराखंड राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन।

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि—

श्री नरेश बंसल, 91/4, पार्क रोड, लक्ष्मण चौक, देहरादून, उत्तराखंड, जो भारतीय जनता पार्टी खड़े किए गए हैं, उस सदन में एक सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 25 नवम्बर, 2020 को निवृत्त हो रहे हैं, स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : विधान सभा भवन, देहरादून।

तारीख : 2 नवम्बर, 2020

ह./-

रिटर्निंग आफिसर"।

[फा. सं. एच-11024/1/2020-वि02]

डॉ. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2020

S.O. 4245(E).—In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declarations containing the names of the candidates elected to fill the seats in the Council of States of eleven members, on the expiration of their term of office, are published for general information:-

Declaration

(1)

Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh.

“In pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of Section 53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

1. Sri Arun Singh,
A-57 Parwana Apartment, Mayur Vihar, Phase-1 Delhi 110091,
sponsored by Bhartiya Janta Party,
2. Smt. Geeta alias Chandraprabha,
Jawaharnagar, Achalda Road, Bidhuna, Auraiya, sponsored by
Bhartiya Janta Party,
3. Sri Neeraj Shekhar,
Village and Post-Ibrahimpatti, District Ballia, sponsored by Bhartiya
Janta Party,
4. Sri Brijlal,
A-684 Sector-4, 5-Basant Khand, Gomti Nagar Extension, Lucknow,
sponsored by Bhartiya Janta Party,
5. Prof. Ram Gopal Yadav,
Vill & Post-Saifai, Etawah, sponsored by Samajwadi Party,
6. Sri Ramji,
256 – Rajgarh, Lakhimpur Kheri, Uttar Pradesh, sponsored by
Bahujan Samaj Party,
7. Sri B. L. Verma,
392-D Shree Narayanganj, Ansh Link Road, Ujhani, Badaun,
sponsored by Bhartiya Janta Party,
8. Smt Seema,
Village Achkari, Post Kushmaul, Tehsil Machlishahar, District
Jaunpur, sponsored by Bhartiya Janta Party,
9. Sri Hardwar Dubey,
10, Ajanta Colony, Dhaultpur House, Agra, sponsored by Bhartiya
Janta Party,

10. Sri Hardeep Singh Puri,
6-Akbar Road, New Delhi, 110011, sponsored by Bhartiya
Janta Party.

have been duly elected to fill the seats in that House of 10 (Ten) members retiring on 25 November, 2020 on the expiration of their term of office.

PLACE: VIDHAN BHAWAN, LUCKNOW.

DATED: NOVEMBER 02, 2020.

Sd-
Returning Officer”.

(2)

Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Uttarakhand.

“In pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of Section 53 of The Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Shri Naresh Bansal, 91/4, Park Road, Lakshman Chowk, Dehradun, Uttarakhand, sponsored by Bharatiya Janata Party, has been duly elected to fill the seat in that House of one member retiring on 25th November, 2020 on the expiration of his term of office.

Place: Vidhan Sabha Bhawan, Dehradun

Date: 02nd November, 2020.

Sd-
Returning Officer”.

[F. No. H.11024/1/2020-Leg.II]

Dr. REETA VASISHTA, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2020

का.आ. 4246(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3689(अ), तारीख 20 अक्तूबर, 2020 के अनुसरण में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्य सभा के निर्वाचित ग्यारह सदस्यों के स्थानों को, जो उनकी पदावधि के अवसान पर निवृत्त होने के कारण रिक्त हो गए हैं, भरने के प्रयोजन के लिए निर्वाचन कराए गए हैं।

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 71 के अनुसरण में, ऊपर उल्लिखित दो राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्यों के नाम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किए जाते हैं :--

क्र. सं.	सदस्य का नाम	राज्य
1.	श्री अरुण सिंह	उत्तर प्रदेश
2.	श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा	
3.	श्री नीरज शेखर	
4.	श्री बृजलाल	
5.	प्रो० राम गोपाल यादव	
6.	श्री रामजी	

7.	श्री बी.एल. वर्मा	
8.	श्रीमती सीमा	
9.	श्री हरद्वार दुबे	
10.	श्री हरदीप सिंह पुरी	
11.	श्री नरेश बंसल	उत्तराखंड

[फा. सं. एच-11024/1/2020-वि02]

डॉ. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव

NOTIFICATIONNew Delhi, the 26th November, 2020

S.O. 4246(E).—Whereas elections have been held, in pursuance of notification number S.O. 3689(E) dated the 20th October, 2020 issued under section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), for the purpose of filling the seats of eleven members of the Council of States elected by the elected members of the Legislative Assemblies of the States of Uttar Pradesh and Uttarakhand which fell vacant on the expiration of their term of office.

Now, therefore, in pursuance of section 71 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the name of the members elected by the elected members of the Legislative Assemblies of the aforementioned two States are hereby notified for general information:

S.N.	Name of the member	State
1	Sri Arjun Singh	Uttar Pradesh
2	Smt. Geeta alias Chandraprabha	
3	Sri Neeraj Shekhar	
4	Sri Brijlal	
5	Prof. Ram Gopal Yadav	
6	Sri Ramji	
7	Sri B.L. Verma	
8	Smt Seema	
9	Sri Hardwar Dubey	
10	Sri Hardeep Singh Puri	
11	Shri Naresh Bansal	Uttarakhand

[F. No. H.11024/1/2020-Leg.II]

Dr. REETA VASISHTA, Addl. Secy.